मनीराम / राजसिंह

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 11/2021 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. मनीराम पुत्र मंगतूराम जाति अहीर निवासी ग्राम गोठडा तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:—— अपीलांट

बनाम

1 राजसिंह पुत्र नारायण
2 हरिराम
3 लक्ष्मणसिंह
4 राजेन्द्र प्रसाद पुत्रान मंगतूराम
5 लाली
6 कृष्णा
7 रमेश
8 उर्मिला पुत्रियान मंगतूराम
9 शांति पत्नि मंगतूराम
10 लखपति पत्नि लक्ष्मण
11 रामरती पत्नि राजेन्द्र कुमार
12 राकेश देवी पत्नि सतीश
13 पूनम देवी पत्नि सतबीर जाति अहीर निवासीगण ग्राम गोठडा तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान
14 तहसीलदार बहैसियत लैण्ड होल्डर तिजारा जिला अलवर
15 शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान
16 शाखा प्रबन्धक आर0 जी0 बी0, शाखा भिण्डूसी, तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:—— रेस्पो0

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी,

तिजारा दिनांक 21.10.2020

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री जनार्दन शर्मा

2. वकील रेस्पो० सं० 1 :- श्री दिनेश यादव

निर्णय दिनांक 30.9.2021

1 यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा द्वारा राजस्व वाद संख्या 269/2017 अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर० टी० एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 21.10.2020, जिसके द्वारा वादी का उक्त वाद प्राथमिक तौर पर डिक्री किया गया है, के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत पेश की गई है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 52/0.48, 53/0.48, 71/0.43, 72/0.29, 127/0.28, 128/0.33, 190/0.54, 191/0.56, 193/1.32, 194/0.10, 370/0.72, 420/0.03, 422/0.03, 466/0.15, 540/0.22, 578/0.18, 579/0.18, 580/0.22, 581/0.20, 572/0.13, 573/0.13 वाके ग्राम गोठडा तहसील तिजारा वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ला० 13 की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है । उक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ला 13 को मंगतूराम से विरासत में प्राप्त हुई थी । उक्त विवादित आराजीयात का पूर्व में आपसी बंटवारा किया हुआ है और पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज है, परन्तु राजस्व रेकार्ड में विभाजन का अंकन नहीं हुआ है । इसलिये वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य वाई मीट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा किया जावे । तहत अदालत ने निर्णय दिनांक 21.10.2020 द्वारा उक्त वाद पत्र प्राथमिक तौर पर डिक्री किया है, जिससे व्यथित होकर वादी ने यह अपील पेश की है ।

3 वहस में विद्वान वकील अपीलांट ने सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर तर्क दिये कि अपीलाधीन निर्णय की मुझ को समय पर वकील साहब ने जानकारी नहीं दी । जानकारी दिनांक 18.01.2021 को तब हुई, जब रेस्पो० संख्या 01 ने अपीलांट की आराजी पर दखलअंदाजी की और कहा कि तहत अदालत से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

प्राथमिक डिक्री पारित हो चुकी है, कुर्रे रिपोर्ट तैयार हो चुकी है । इस पर वादी अपीलांट ने अपीलाधीन निर्णय की नकल लेकर यह अपील जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद पेश कर दी । जानकारी के अभाव में हुई देरी को माफ किया जावे । विद्वान वकील ने आगे तर्क दिये कि पक्षकारों के मध्य आपसी समझौते से विवादित आराजी का बटवारा किया हुआ है और पक्षकारान उक्त बटवारे अनुसार काबिज है । परन्तु तहत अदालत उक्त समझौते के आधार पर निर्णय पारित नहीं किया है । तहत अदालत द्वारा निर्णय करते समय पक्षकारों को अपने कृषि कार्य हेतु भूमि में आने जाने के लिए रास्ते के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार कोई निर्देश कमिश्नर तहसीलदार को नहीं दिये है । तहत अदालत द्वारा उक्त आराजी के सम्बन्ध में पूर्व में कैम्प न्याय आपके द्वार में प्राथमिक डिक्री पारित की गई थी, जिसको स्वयं न्यायालय द्वारा ही दिनांक 17.3.2020 को खारिज कर दिया गया । वर्तमान में उसी न्यायालय द्वारा उन्हीं खसरा नम्बरों की प्राथमिक डिक्री पारित किया जाना विधि विरूद्ध है । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 01 का कथन है कि इन्होंने देरी का संतोषजनक कारण नहीं बताया है । अपीलाधीन निर्णय की जानकारी इनको शुरू से ही थी । अतः निवेदन है कि अपील मियाद बिन्दू पर ही खारिज की जावे । विद्वान वकील ने आगे तर्क दिये कि यह अपील प्राथमिक डिक्री के खिलाफ पेश की गई है, जिसमें मात्र कुर्रे कायमी रिपोर्ट तलब किये जाने के आदेश दिये जाते हैं, कोई राईट तय नहीं किये जाते । ऐसी स्थिति में अपीलांट, जो कि स्वयं वादी है और विभाजन कराना चाहता है, को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । प्रकरण में कुर्रे कायमी रिपोर्ट तैयार होकर तहत अदालत को प्राप्त हो चुकी है और उस पर अपीलांट ने अपनी आपत्ति भी पेश कर दी । उस आपत्ति का निराकरण होकर अंतिम डिक्री पारित होनी है । ऐसी स्थिति में अपीलांट को अपील में कोई अनुतोष देय नहीं है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू पर नरम रूख अपनाना चाहिये और प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये । अतः माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेद्वक्ष्य में तथा विद्वान वकील अपीलांट द्वारा मियाद बिन्दू पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

दिये गये तर्कों पर विश्वास करते हुये नरम रूख अपनाया जाता है तथा देरी को माफ किया जाता है ।

अदालत हाजा की पत्रावली में पेश कुर्रे कायमी रिपोर्ट दिनांक 11.11.2020 का अवलोकन किया तो पाया कि यह रिपोर्ट स्वयं तहसीलदार द्वारा मौके पर उपस्थित रह कर तैयार करवाई गई है । इस रिपोर्ट पर स्वयं वादी अपीलांट ने भी हस्ताक्षर कर रखे है, परन्तु वाद में हस्ताक्षर करके काट दिये । इसका तात्पर्य यही है कि उक्त रिपोर्ट स्वयं वादी अपीलांट की उपस्थिति में तैयार की गई है । कुर्रे रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व तहसीलदार द्वारा पक्षकारों को नोटिस भी जारी किये गये हैं । कुर्रे रिपोर्ट तैयार होकर तहत अदालत को प्राप्त हो चुकी है, जिस पर वादी अपीलांट द्वारा दिनांक 25.1.2021 को अपनी आपत्ति भी पेश कर दी गई है । जब वादी अपीलांट द्वारा कुर्रे रिपोर्ट पर तहत अदालत में अपनी आपत्ति पेश कर दी गई है तो फिर उसे अपील में किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं है । जहां तक अपीलांट के इस कथन का प्रश्न है कि पूर्व में कैम्प न्याय आपके द्वार में प्राथमिक डिक्री पारित की गई थी, जिसको स्वयं न्यायालय द्वारा ही दिनांक 17.3.2020 को खारिज कर दिया गया, पुनः उन्हीं नम्बरों की बावत प्राथमिक डिक्री पारित करना विधि विरूद्ध है, इस सम्बन्ध में हमने तहत अदालत की आदेशिकाओं का अवलोकन किया । अवलोकन के उपरान्त हमारा विनम्र मत है कि कैम्प न्याय आपके द्वार में प्राथमिक डिक्री पारित होने के बाद प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा आदेश 9 नियम 13 का प्रार्थना पत्र पेश हुआ, जो स्वीकार हुआ था । प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 स्वीकार होने पर न्यायालय अपने स्वयं के निर्णय को खारिज करता है । अगर अपीलांट को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 में पारित आदेश से किसी प्रकार की कोई आपत्ति थी तो वो इसके खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी करते ।

उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा तहत अदालत के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.10.2020 यथावत रखे जाते हैं ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

30/9/2021

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर